

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स
 आयुध एवं परिवहन इकाई चतुर्थ तल जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ-1
 (फैक्स नम्बर-0522-2288824, ई-मेल आई०डी०- logisticoffice4@gmail.com)

संख्या: ला०जि०-एमटी-42/2018

दिनांक: अक्टूबर 30, 2018

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ
2. पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा उ०प्र० लखनऊ ।
3. पुलिस महानिदेशक आवास निगम उ०प्र० लखनऊ
4. पुलिस महानिदेशक सतर्कता अधिष्ठान उ०प्र० लखनऊ ।
5. पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध संगठन उ०प्र० लखनऊ ।
6. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय उ०प्र० लखनऊ ।
7. पुलिस महानिदेशक, विशेष जाँच, उ०प्र० लखनऊ
6. अपर पुलिस महानिदेशक यातायात निदेशालय उ०प्र० लखनऊ
7. अपर पुलिस महानिदेशक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक एस०आई०टी० उ०प्र० लखनऊ ।
9. अपर पुलिस महानिदेशक उ०प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद ।
10. अपर पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ०प्र० लखनऊ ।
11. अपर पुलिस महानिदेशक रेडियो मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग उ०प्र० लखनऊ
13. अपर पुलिस महानिदेशक "तकनीकी सेवायें" उ०प्र० लखनऊ
14. अपर पुलिस महानिदेशक "सुरक्षा मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ
15. अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी मुख्यालय लखनऊ ।
16. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस बल लखनऊ ।
17. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस गोरखपुर ।
18. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीसी मुरादाबाद ।
19. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर ।
20. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस उन्नाव ।
21. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस मुरादाबाद ।
22. अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र सीतापुर ।
23. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जोन्स उ०प्र० ।
24. पुलिस महानिरीक्षक /जी०एस०ओ० मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ ।
24. पुलिस महानिरीक्षक आरटीसी चुनार मीरजापुर ।
25. पुलिस महानिरीक्षक, ए०टी०एस० लखनऊ ।
26. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ०प्र० ।
27. पुलिस महानिरीक्षक, फूड सेल उ०प्र० लखनऊ ।
28. पुलिस महानिरीक्षक रूल्स एवं मैनुअल उ०प्र० लखनऊ ।
29. पुलिस महानिरीक्षक महिला सम्मान प्रकोष्ठ उ०प्र० लखनऊ ।
30. पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीटीएस मेरठ ।
31. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश ।
32. समस्त सेनानायक उत्तर प्रदेश ।
33. समस्त पुलिस अधीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश ।
34. पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उ०प्र० लखनऊ ।
35. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग उ०प्र० लखनऊ ।
36. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ०प्र० लखनऊ ।
37. पुलिस अधीक्षक कापोरिटव सेल उ०प्र० लखनऊ ।
38. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स उ०प्र० लखनऊ ।

- 39 राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी सीतापुर ।
- 40 अपर पुलिस अधीक्षक सेन्ट्रल स्टोर कानपुर ।
- 41 निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० लखनऊ ।
- 42 पुलिस अधीक्षक, 1090 उ०प्र० लखनऊ ।
- 42 निदेशक, फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो उ०प्र० लखनऊ ।

विषय : मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष 01.07.2008 से 30.06.2018 तक की कुल 245 रिक्तियों के अध्याचन को निरस्त कर भर्ती/चयन वर्ष 01.07.2008 से 30.06.2019 तक की कुल 272 रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही किये जाने विषयक ।

कृपया अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-12(13)-2018 दिनांक 26-10-2018 द्वारा मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष 01.07.2008 से 30.06.2018 तक की कुल 245 रिक्तियों के अध्याचन को निरस्त करते हुए भर्ती/चयन वर्ष 01.07.2008 से 30.06.2019 तक की कुल 272 रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु आरक्षी चालको और मुख्य आरक्षी चालको के आवेदन पत्र एवं संगत नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय परीक्षा हेतु अर्ह कर्मियों की सूची तथा आवेदन-पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

2- मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम-5(ग) व 10 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

नियम-5 (ग)

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की शत प्रतिशत रिक्तियां बोर्ड द्वारा परिशिष्ट में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार चयन द्वारा ऐसे आरक्षी चालको एवं मुख्य आरक्षी चालको में से भरी जायेंगी जो निम्न पात्रताएं पूरी करते हों:-

(एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों ।

(दो) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हों ।

(तीन) विगत 05 वर्षों की अवधि में:-

(क) सत्यनिष्ठा रोक़ी न गई हो या

(ख) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या

(ग) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों ।

(चार) विगत 03 वर्षों के अवधि में

(क) कोई लघु दण्ड न मिला हो या

(ख) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिलें हो या

(ग) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो ।

नियम-10

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के शत-प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा के माध्यम से बोर्ड द्वारा ऐसे आरक्षी चालको एवं मुख्य आरक्षी चालकों में से भरे जायेंगे जो नियम-5(ग) में यथा उल्लिखित अर्हता शर्तें पूर्ण करते हों ।

3- उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक 15-09-2018 द्वारा चयन वर्ष 2008 से चयन वर्ष 2017 के कुल 245 रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी । उक्त अध्याचन को अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 12.10.2018 द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।


4- अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ नियुक्त समस्त मुख्य आरक्षी चालको/आरक्षी चालको को उपरोक्तानुसार सूचित कराते हुए संगत नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार अर्ह मुख्य आरक्षी चालको/आरक्षी चालको के निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र तथा संलग्न प्रारूप में सूचना (साफ्टकापी/हार्ड कापी में) दिनांक 15-11-2018 तक अपने जूनल कार्यालय/मुख्यालय के माध्यम से इस कार्यालय में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी अर्ह मुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालक के नाम छूटने न पायें, ताकि न्यायालयीय विवाद से बचा जा सके, यदि कोई मुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालक आपके जनपद/इकाई/वाहिनी से अन्यत्र सम्बद्ध/प्रतिनियुक्ति पर गये हो, तो सम्बन्धित जनपद/इकाई/वाहिनी के प्रभारी की यह जिम्मेदारी होगी वह उस कर्मी को प्रत्येक दशा में सूचित करें। कृपया उक्त निर्देश का व्यापक प्रचार प्रसार कराये, ताकि सभी मुख्य आरक्षी चालको/आरक्षी चालको को इस सम्बन्ध में जानकारी हो सके और कोई भी पात्र कर्मी उक्त परीक्षा से वंचित न हो सके। उक्त सूचना के साथ कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाय कि प्रेषित की जा रही सूचना में किसी भी पात्र कर्मी का नाम छूटा नहीं है तथा प्रेषित की जा रही सूचना त्रुटिरहित है।

5- जनपदों/इकाईयो एवं वाहिनियो द्वारा उक्त सूचना सीधे इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। जनपदों द्वारा सूचना अपने जून कार्यालय को तथा जून कार्यालय द्वारा सूचना जून स्तर पर संकलित कर उसका मिलान करने के उपरान्त इस कार्यालय में साफ्ट/हार्ड कापी सहित उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार पीएसी वाहिनियो द्वारा सूचना पीएसी मुख्यालय एवं इकाईयो एवं अनुभागों द्वारा अपनी सूचना अपने मुख्यालय के माध्यम से इस कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदन पत्र के सभी कालमों को भरा जाना आवश्यक है।

6- मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष 01.07.2008 से 30.06.2018 तक की कुल 245 रिक्तियों के सापेक्ष कुछ जनपदों/इकाईयो/वाहिनियो की सूचना इस कार्यालय में प्राप्त हो गयी है, उन जनपदों/इकाईयो/वाहिनियो द्वारा पुनः नये सिरे से संलग्न प्रारूप में अर्ह कर्मियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में सूचना तैयार कराकर हार्ड कापी/साफ्ट कापी में इस कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, चूँकि मु0आ0 परिवहन के पदों की संख्या बढ़ाये जाने के कारण आवेदन पत्र का प्रारूप एवं निर्धारित प्रारूप परिवर्तित हो गया है, फलवरूप पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्र/सूचना निरस्त समझा जाय।

आवेदन पत्र का प्रारूप, सूचना प्रेषित किये जाने का प्रारूप आपके ई-मेल एवं इस कार्यालय के वेबसाईट [up police-police units-Logistics-circuler](#) पर प्रकाशित किया जा रहा है, जहाँ से डाउनलोड कर उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


(विजय कुमार मौर्य)

अपर पुलिस महानिदेशक-लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक "स्थापना", मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती/प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा)

1. अभ्यर्थी का नाम		04 x 05 सेमी0 आकार का नवीनतम फोटो चिपकाकर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाय।
2. पिता का नाम		
3. पदनाम		
4. पी0एन0ओ0		
5. नियुक्ति का स्थान		
6. जन्म तिथि		
7. आरक्षी चालक के पद पर नियुक्ति की तिथि		
मुख्य आरक्षी चालक / आरक्षी चालक के पद पर कुल सेवा अवधि	दि0 01-07-2008 को वर्ष.....माह.....दिन.....	
	दि0 01-07-2009 को वर्ष.....माह.....दिन.....	
	दि0 01-07-2010 को वर्ष.....माह.....दिन.....	
	दि0 01-07-2011 को वर्ष.....माह.....दिन.....	
	दि0 01-07-2012 को वर्ष.....माह.....दिन.....	
	दि0 01-07-2013 को वर्ष.....माह.....दिन.....	
	दि0 01-07-2014 को वर्ष.....माह.....दिन.....	
	दि0 01-07-2015 को वर्ष.....माह.....दिन.....	
	दि0 01-07-2016 को वर्ष.....माह.....दिन.....	
	दि0 01-07-2017 को वर्ष.....माह.....दिन.....	
दि0 01-07-2018 को वर्ष.....माह.....दिन.....		
10-वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में सफल / असफल	वर्ष-2008- वर्ष-2009- वर्ष-2010- वर्ष-2011- वर्ष-2012- वर्ष-2013-	वर्ष-2014- वर्ष-2015- वर्ष-2016- वर्ष-2017- वर्ष-2018-
9. मोबाइल नम्बर / ई-मेल	मोबाइल-	ई-मेल
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित		

10- कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....मुख्य आरक्षी चालक / आरक्षी चालक द्वारा भरी गयी सूचनाओं का परीक्षण अभ्यर्थी के सेवाभिलेखों के आधार पर कर लिया गया है तथा अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनायें "उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम-5 (ग) में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप हैं। उक्त मुख्य आरक्षी चालक / आरक्षी चालक, संगत सेवा नियमावली में निर्धारित मुख्य आरक्षी परिवहन के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करता है, अतः आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित है। आवेदक भर्ती / चयन वर्ष.....(यथा 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) की रिक्तियों के सापेक्ष मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र है।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम की मुहर सहित

Data for Promotion to the post of Head Constable Motor Transport

Name of the Candidate	Father's Name	Designation	PNO	Place of Posting	Date of Birth	Date of Enlistment	Date of Recruitment/ Promotion as Const. Driver / Head Const. Driver	Total service as Const. Driver/Head Const. Driver on			passed/Failed in Annual Health Inspection	Mobile No.
								Cut of date	Year	Month	day	
								01.07.08				
								01.07.09				
								01.07.10.				
								01.07.11				
								01.07.12				
								01.07.13				
								01.07.14				
								01.07.15				
								01.07.16				
								01.07.17				
								01.07.18				

Note:- 1. उक्त सूचना Excell Sheet में "Times New Roman" Font व Size 10 में उपलब्ध करायी जानी है।

2. कोई Cell या Row merge न की जाय।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
नाम / पदनाम की मुहर सहित